

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 18, 2014/ अग्रहायण 27, 1936 (शक)
No. 40] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 18, 2014/AGRAHAYANA 27, 1936 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, the 18th December, 2014/Agrahayana 27, 1936 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 17th December, 2014, and is hereby published for general information:—

THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDERS
(AMENDMENT) ACT, 2014

No. 34 OF 2014

[17th December, 2014.]

An Act further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 and the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978.

BE it enacted by Parliament in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 2014.

C.O. 19.

- 2.** In the Schedule to the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, —
- (a) in PART VIII.— *Kerala*,—
- (i) for entry 46, substitute,—

Amendment of
Constitution
(Scheduled
Castes) Order,
1950.

“46. Palluvan, Pulluvan”;

(ii) for entry 61, substitute,—

“61. Thandan (excluding Ezhuvas and Thiyyas who are known as Thandan, in the erstwhile Cochin and Malabar areas) and (Carpenters who are known as Thachan, in the erstwhile Cochin and Travancore State), Thachar (other than Carpenter)”;

(b) in PART IX.— *Madhya Pradesh*, for entry 18, substitute,—

“18. Dahait, Dahayat, Dahat, Dahiya”;

(c) in PART XIII.— *Orissa*,—

(i) for “Orissa”, substitute “Odisha”;

(ii) for entry 2, substitute,—

“2. Amant, Amat, Dandachhatra Majhi, Amata, Amath”;

(iii) for entry 13, substitute,—

“13. Bedia, Bejia, Bajia”;

(iv) for entry 41, substitute,—

“41. Jaggali, Jaggili, Jagli”;

(v) for entry 69, substitute,—

“69. Pan, Pano, Buna Pana, Desua Pana, Buna Pano”;

(d) in PART XVII.—*Tripura*,—

(i) for entry 4, substitute,—

“4. Chamar, Muchi, Chamar-Rohidas, Chamar-Ravidas”;

(ii) for entry 7, substitute,—

“7. Dhoba, Dhobi”;

(iii) for entry 12, substitute,—

“12. Jalia Kaibarta, Jhalo-Malo”.

Amendment of
Constitution
(Sikkim)
Scheduled
Castes Order,
1978.

3. In the Schedule to the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978, C.O. 110.
entry 3 shall be omitted.

—————

DR. SANJAY SINGH,

Secretary to the Govt. of India.

संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2014

(2014 का अधिनियम संख्यांक 34)

[17 दिसम्बर, 2014]

संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 और संविधान
(सिक्किम) अनुसूचित जातियाँ आदेश, 1978
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- सं. आ. 19
1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2014 है । संक्षिप्त नाम ।
 2. संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 की अनुसूची में,—
 - (क) भाग 8—केरल में,—
 - (i) प्रविष्टि 46 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,—
“46. पल्लुवन, पुल्लुवन”;
 - (ii) प्रविष्टि 61 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,—
“61. तण्डान (उन ईयूवास और तियास को छोड़कर, जो तत्कालीन कोचीन और मालाबार क्षेत्रों में तण्डान के नाम से ज्ञात हैं) और (बढ़ई जो तत्कालीन कोचीन और द्रावनकोर राज्य में तच्चन के नाम से ज्ञात हैं) और
- संविधान अनुसूचित
जातियाँ आदेश,
1950 का
संशोधन ।

तच्चर (बढ़ई से भिन्न)";

(ख) भाग 9—मध्य प्रदेश में, प्रविष्टि 18 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें,—

"18. दहाइत, दहायत, दहात, दहिया";

(ग) भाग 13—उड़ीसा में,—

(i) "उड़ीसा" के स्थान पर, "ओडिशा" रखें ;

(ii) प्रविष्टि 2 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें,—

"2. अमान्त, अमात, दंडछत्र माझी, अमाता, अमाथ";

(iii) प्रविष्टि 13 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें,—

"13. बेढिया, बेजिया, बाजिया";

(iv) प्रविष्टि 41 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें,—

"41. जग्गली, जगिली, जगली";

(v) प्रविष्टि 69 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें,—

"69. पाण, पाणों, बुना पाण, देसुआ पाण, बुना पाणों";

(घ) भाग 17—त्रिपुरा में,—

(i) प्रविष्टि 4 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें,—

"4. चमार, मूची, चमार-रोहिदास, चमार-रविदास";

(ii) प्रविष्टि 7 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें,—

"7. धोबा, धोबी" ;

(iii) प्रविष्टि 12 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें,—

"12. जेलेया कैबर्त, झालो-मालो" ।

संविधान (सिक्किम)
अनुसूचित जातियां
आदेश, 1978 का
संशोधन ।

3. संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 की अनुसूची में, प्रविष्टि 3 का लोप किया जाएगा ।

सं० आ० 110